न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद संख्या :– 92/2023

शीर्षक

1. ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मणराम, जाति बलाई निवासी ए 93 हनुमान नगर, जयपुर।
–वादी

बनाम

1. कोशल्या पुत्री मालचन्द
2. प्रमिला पुत्री मालचन्द
3. रजनी पुत्री मालचन्द
4. बृजेशकुमार पुत्र घनश्याम
   समस्त जाति खटीक निवासी टोडी तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 30/8/2024

प्रकरण संक्षेप्त में इस प्रकार है कि ग्राम टोडी पटवार हल्का उदावाला, भू–अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर स्थित आराजी कृषि भूमि हाल जमाबन्दी सवंत 2074 से 2077 के हाल खाता संख्या 29 के खसरा नम्बर 5111 रकबा 0.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5118 रकबा 0.5000 हैक्टेयर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5119 रकबा 0.2700 बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5120 रकबा 0.2400 बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5122 रकबा 0.4500 बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5123 रकबा 0.2500 बारानी प्रथम, कुल किता 6 कुल रकबा 2.2600 हैक्टेयर सम्पूर्ण में वादी का 7/40 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 कोशल्या का हिस्सा 1/40, प्रतिवादी संख्या 2 प्रमिला का हिस्सा 1/40, प्रतिवादी संख्या 3 रजनी का हिस्सा 1/40, प्रतिवादी संख्या 4 बृजेश कुमार का हिस्सा 3/40, के अनुसार रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं तथा जिस पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 मौके पर मनबंट एवं आपसी बाहमी बंटवारा के अनुसार काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। यह कि उक्त वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि विवादग्रस्त हैं। जिसे वाद पत्र के अन्य मदो में विवादित भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी व

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से मनबंट के आधार पर अपने—अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होकर निरन्तर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के तालूकात कुछ असामाजिक तत्वों व भू—माफिया किस्म के लोगो से हैं तथा वादी वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित उक्त भूमि के अविभाजित हिस्सा 7/40 पर मनबंट के आधार पर काबिज काश्त हैं, व निरन्तर काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। लेकिन प्रतिवादीगण वादी को वादग्रस्त भूमि से जबरन बेदखल कर विशिष्ट भू—भाग पर कब्जा कर बैचान करने पर आमादा हैं। जिन्हें कानूनन बिना तकासमा कराये भूमि के विशिष्ट भू—भाग पर कब्जा करने व बैचान करने का वैधानिक अधिकार नही हैं, तथा कानूनन अविभाजित भूमि पर प्रत्येक काश्तकार का हर एक इंच पर हक व हिस्सा व अधिकार माना जाता है, लेकिन प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की भूमि से ताकत व संख्या बल के जौर पर उनके कब्जे से बेदखल कर भूमि को हडपना चाहते है तथा वादी की भूमि को ओने पोने दामो मे खरीदना चाहते हैं। जिसका उन्हें भूमि के विधिक विभाजन के बिना कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही हैं। तथा अब वादी का प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से काश्त करना दुर्भर हो गया है। यह कि दिनांक 03/08/2023 को वादी अपने हिस्से की भूमि पर फसल को देखने गया तब प्रतिवादी संख्या 4 बृजेश के साथ कुछ अजनबी लोगो के साथ विवादित भूमि पर आये और मुझे मेरे हिस्से की भूमि को बिना विभाजन करवाये बैचान करने की धमकी दी व आयंदा इस पर काश्त करने से मना कर दिया जब वादी ने इसका विरोध किया तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम तो उक्त भूमि को भू—माफियाओं को बैचान करेगें व खुर्द बुर्द कर तुम्हें बेदखल करके रहेगें, तथा तू तो अकेला है और हमारे कई अधिकारियों व भू—माफियाओं से तालूकत है तथा प्रतिवादीगण अपनी ताकत के बल पर सहकाश्तकारान् की अविभाजित भूमि के विशिष्ट भू—भाग पर मनचाहे तरीके से कब्जा करने व खुर्द बुर्द करने बैचान व बेदखल करने पर आमादा है तथा वादी को बिना विधिक विभाजन करवाये भूमि पर काश्त व उपयोग उपभोग करने में जबरन बाधा उत्पन्न की जा रही है तथा अब वादी को संयुक्त खाते के रूप में काश्त करना असंभव हो गया है। इसलिए वादी को अपने हिस्से व कब्जे की सुरक्षा हेतु यह दावा बाबत् भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरुध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ।

अन्त में निवेदन किया कि मद संख्या 1 में ग्राम टोडी पटवार हल्का उदावाला, भू—अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर स्थित आराजी कृषि भूमि हाल जमाबन्दी सवंत 2074 से 2077 के हाल खाता संख्या 29 के खसरा नम्बर 5111 रकबा 0.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5118 रकबा 0.5000 हैक्टेयर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5119 रकबा 0.2700 बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5120 रकबा 0.2400

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज

Scanned with OKEN Scanner

बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5122 रकबा 0.4500 बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5123 रकबा 0.2500 बारानी प्रथम, कुल किता 6 कुल रकबा 2.2600 हैक्टेयर सम्पूर्ण में वादी का 7/40 हिस्सा का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन किया जाकर वादी का खाता व लगान अलग से कायम किया जावें तथा इसी अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करने का आदेश फरमाया जावें एवं बाद विभाजन प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि वे भूमि वादग्रस्त पर वादी के हिस्से कब्जे काश्त व खाते की भूमि पर वादी के कब्जे काश्त व उसके उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, न करे न ही बैचान हस्तान्तरण करें, कच्चा पक्का निर्माण नहीं करें, बाधा न स्वयं करे न अपने एजेन्ट सर्वेन्ट व परिवारजन आदि से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण बाद तामील व सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रकरण में दिनांक 25.07.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई व तहसीलदार शाहपुरा को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने बाबत् निर्देशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/4090 दिनांक 30.08.2024 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का वकील वादी द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं कर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दावा अंतिम डिक्री किया जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर किया गया। बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से प्रकरण को कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर)

आदेश

उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप वादी का वाद कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता। हाल खाता संख्या 29 के खसरा नम्बर 5111 रकबा 0.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5118 रकबा 0.5000 हैक्टेयर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5119 रकबा 0.2700 बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5120 रकबा 0.2400 बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5122 रकबा 0.4500 बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5123 रकबा 0.2500 बारानी प्रथम, कुल किता 6 कुल रकबा 2.2600 हैक्टेयर, ग्राम टोडी पटवार हल्का उदावाला, भू-अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है -

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

1. कोशल्या पुत्री मालचन्द हि0 565/18645 जाति खटीक सा0 देह खातेदार, प्रमिला पुत्री मालचन्द हि0 565/18645 जाति खटीक सा0 देह खातेदार, रजनी पुत्री मालचन्द हि0 565/18645 जाति खटीक सा0 देह खातेदार, बृजेश कुमार पुत्र घनश्याम हि0 16950/18645 जाति खटीक सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5111 रकबा 0.5500 है0, 5118 रकबा 0.5000 है0, 5119/2 रकबा 0.0600 है0 5120/2 रकबा 0.0545 है0, 5122 रकबा 0.4500 है0, 5123 रकबा 0.2500 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.8645 है0 भूमि रहेगी।
2. ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मणराम हि0 सम्पूर्ण जाति बलाई निवासी ए 93 हनुमाननगर जयपुर खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5119/1 रकबा 0.2100 है0, 5120/1 रकबा 0.1855 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3955 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । मर्फी डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30/8/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(सहायक कलक्टर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जयपुर, ग्रामीण

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद संख्या :– 92/2023

शीर्षक

1. ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मणराम, जाति बलाई निवासी ए 93 हनुमान नगर, जयपुर।
–वादी

बनाम

1. कोशल्या पुत्री मालचन्द
2. प्रमिला पुत्री मालचन्द
3. रजनी पुत्री मालचन्द
4. बृजेशकुमार पुत्र घनश्याम
   समस्त जाति खटीक निवासी टोडी तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 30/8/2024

उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप वादी का वाद कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता। हाल खाता संख्या 29 के खसरा नम्बर 5111 रकबा 0.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5118 रकबा 0.5000 हैक्टेयर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5119 रकबा 0.2700 बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5120 रकबा 0.2400 बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5122 रकबा 0.4500 बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5123 रकबा 0.2500 बारानी प्रथम, कुल किता 6 कुल रकबा 2.2600 हैक्टेयर, ग्राम टोडी पटवार हल्का उदावाला, भू–अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

कोशल्या पुत्री मालचन्द हि0 565/18645 जाति खटीक सा0 देह खातेदार, प्रमिला पुत्री मालचन्द हि0 565/18645 जाति खटीक सा0 देह खातेदार, रजनी पुत्री मालचन्द हि0 565/18645 जाति खटीक सा0 देह खातेदार, बृजेश कुमार पुत्र घनश्याम हि0 16950/18645 जाति खटीक सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5111 रकबा 0.5500 है0, 5118 रकबा 0.5000 है0, 5119/2 रकबा 0.

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

0600 है0 5120/2 रकबा 0.0545 है0, 5122 रकबा 0.4500 है0, 5123 रकबा 0.2500 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.8645 है0 भूमि रहेगी।

2. ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मणराम हि0 सम्पूर्ण जाति बलाई निवासी ए 93 हनुमाननगर जयपुर खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5119/1 रकबा 0.2100 है0, 5120/1 रकबा 0.1855 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3955 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय व डिक्री आज दिनांक 30/8/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जयपुर, ग्रामीण

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	